सं. ई.11016/01/2017-हिन्दी/1091-1151

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक- 10 जुलाई, 2017

विषय :- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2017 को हुई 69वीं बैठक का कार्यवृत्त।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2017 को हुई 69वीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

जल संसाधन नदी, विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों के संबंध में कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से दिनांक 25.07.2017 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं ।

(श्रद्धा माथुर)
सहा. निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23719033

संलग्नक:- यथोपरि

सेवा में-

1. समिति के सभी सदस्य
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ अनुभाग
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संगठन
4. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
5. तकनीकी निदेशक एनआईसी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय। मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर हिन्दी अनुभाग, परिपत्र के तहत कृपया अपलोड करवाएं।

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. अपर सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ संयुक्त सचिव (पी.पी.) एवं राजभाषा प्रभारी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के निजी सचिव।

सं. ई.11016/1/2017-हिन्दी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2017 को हुई 69वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 69वीं बैठक श्री संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (पीपी) एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2017 को 2.30 बजे (अपराह्न) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, उप-निदेशक (रा.भा.) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची मदों के आधार पर, विधिवत् रूप से बैठक की कार्यवाही शुरू की। बैठक की शुरूआत में ही संयुक्त सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का परिचय लिया और उप-निदेशक (रा.भा.) से कार्यान्वयन समिति के बैठकों के आयोजन से संबंधित उद्देश्य बताने का अनुरोध किया। उप-निदेशक (रा.भा.) ने संविधान में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिन्दी के उद्देश्यों की व्याख्या की और नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने एवं मूल रूप से हिन्दी में काम करने पर जोर दिया।

कार्यसूची की मद संख्या-1 के तहत दिनांक 30.03.2017 को हुई समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। अध्यक्ष महोदय ने सभी संगठनों से आए प्रतिनिधि अधिकारियों से यह जानना चाहा कि उनके कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों की स्थिति क्या है? इस संबंध में एनएमसीजी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, एनडब्ल्यूएम, एनआईएच, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड ने उनके कार्यालय में हिन्दी अधिकारी का पद नहीं होने की बात कही। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने पर्याप्त स्तर पर अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही और कहा कि यदि संबंधित संगठन में पद सृजन की आवश्यकता हो तो इस संबंध में प्रस्ताव चलाया जाए। जब तक पद भरा नहीं जाता है तब तक कंसल्टेंट नियुक्त कर हिन्दी के काम-काज को सुचारू रूप से चलाया जाए। मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में भी अनुवादकों की कमी को देखते हुए उपनिदेशक (रा.भा.) से कहा कि राजभाषा विभाग को पद भरने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाए एवं कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए ।

3. कार्यसूची की मद सं.-2 के अनुसार पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया गया। इस संबंध में चर्चा के दौरान स्थापना-।।। के अनुभाग अधिकारी ने ई-ऑफिस में हिन्दी में काम करने में आ रही परेशानी पर समिति का ध्यान आकर्षित किया। ई-ऑफिस में टंकण के दौरान शब्दों के आपस में जुड़ने की समस्या आ जाती है, इस पर उपनिदेशक महोदय ने कहा कि ई-गवर्नेंस अनुभाग के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी तथा इस संबंध में कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। हिन्दी भाषा में अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान न होने की स्थिति में उन्हें हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए जाने की भी बात कही गई।

4. कार्यसूची की मद संख्या 3 के अंतर्गत, दिनांक 30.09.2016, दिनांक 31.12.2016 तथा दिनांक 31.03.2017 को समाप्त अवधि की तिमाही रिपोर्टों के आधार पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि कुछ अनुभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसे अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से लेते हुए अ.शा. पत्र लिखने का आदेश दिया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 30.09.2016 और दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही की स्थिति की तुलना में दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही में कुछ अनुभागों के हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पण आदि के प्रतिशत में प्रगति हुई है। इस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। लेकिन जिन अनुभागों में पत्राचार का प्रतिशत कम है जैसे स्थापना-।।, समन्वय, सतर्कता, पीएसयू, स्थापना-।।।, बजट अनुभाग आदि को गंभीरता से लिया गया। साथ ही जिन अनुभागों के प्रतिनिधि अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए जैसे एफ.ए. डेस्क, ब्रह्मपुत्र एवं बराक, पेन रीवर, परियोजना, भूमि जल, ई-गवर्नेंस, एसपीआर आदि को अध्यक्ष महोदय की ओर से अ.शा. पत्र लिखने का आदेश दिया।

अनुभागों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय को सभी संगठनों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए और इसके लिए मंत्रालय के सभी कर्मचारियों द्वारा अथक प्रयास करने एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया।

5. कार्यसूची की मद संख्या 4 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2016, दिनांक 31.12.2016 तथा दिनांक 31.03.2017 को समाप्त अवधि की तिमाही रिपोर्टों के आधार पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की संगठन-वार तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि कुछ संगठनों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अ.शा. पत्र लिखने का आदेश दिया। संगठनों में हिन्दी की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 30.09.2016 और दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही की स्थिति की तुलना में दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही में, कुछ संगठनों के हिन्दी पत्राचार

और हिन्दी टिप्पण आदि के प्रतिशत में प्रगति हुई है। इस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। लेकिन नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण आदि संगठनों में 'ख' और 'ग' क्षेत्र में पत्राचार का प्रतिशत कम है जिसे गंभीरता से लिया गया। साथ ही ऊपरी यमुना नदी बोर्ड आदि जैसे 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में 100 प्रतिशत काम हिन्दी में किए जाने पर जोर दिया।

'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय के संगठनों में हिन्दी की प्रगति की चर्चा करते हुए केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे की 'ग' क्षेत्र में पत्राचार के प्रतिशत में कमी पर चिंता व्यक्त की तथा फरक्का बैराज और ब्रह्मपुत्र बोर्ड में हिन्दी के काम-काज की स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिया और उनके अध्यक्षों को पत्र लिखने का आदेश दिया। साथ ही नियमित रूप से आवश्यक कार्यशालाएं करने की सलाह दी।

इसी विषय पर चर्चा के दौरान ही ब्रह्मपुत्र बोर्ड के राजभाषा अधिकारी ने राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने का भी सुझाव दिया। उनका आग्रह था कि पहला सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया जाए चूंकि गुवाहाटी 'ग' क्षेत्र में स्थित है। यहां इस प्रकार के आयोजन से हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय ने सहमति जताते हुए पहली बैठक अक्टूबर के महीने में गुवाहाटी में और दूसरी बैठक बंगलुरु में कराए जाने का सुझाव दिया और इस संबंध में आयोजन की कार्यसूची तैयार करने का निर्देश दिया।

6. कार्यसूची की मद संख्या 5 के तहत राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के लक्ष्यों पर चर्चा की गई और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही हिन्दी अनुभाग को निर्देश दिया कि वे ब्रह्मपुत्र बोर्ड, एनसीए, सीजीडब्ल्यूबी, एनडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, सीएसएमआरएस के साथ-साथ अन्य कार्यालयों का निरीक्षण करें और यह जायजा लें कि पिछले राजभाषायी निरीक्षण की तुलना में हिन्दी में काम-काज की कितनी प्रगति हुई है। संगठनों के अलावा मंत्रालय के अनुभागों का भी निरीक्षण किया जाए जिनमें बजट, आईएफडी, सामान्य प्रशासन, ब्रह्मपुत्र एवं बराक, सिंधु, पेन रीवर, परियोजना, भूमि जल, ई-गवर्नेंस, एसपीआर, लघु सिंचाई आदि का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

इसके बाद हिन्दी माध्यम में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए एनआईएच, सीडब्ल्यूपीआरएस, नेरीवाल्म, सीएसएमआरएस को प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में तैयार करने हेतु पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात पुस्तकालय में कम से कम 50 प्रतिशत किताबें हिन्दी भाषा की खरीदने पर जोर दिया

गया। हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कम से कम एक लाख रूपए की पुरस्कार राशि सहित जल संसाधन पुरस्कार शुरू करने का सुझाव दिया। इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए कहा कि केवल योजनाएं बनाने से ही नहीं होगा बल्कि प्रोत्साहन देने हेतु कार्य करना होगा। जल के विषय पर जो लेखक किताबें लिख रहे हैं उन्हें मंत्रालय की ओर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इस संबंध में एक समिति बनाकर पुस्तकों की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही समाचार पत्रों में पत्रकारों द्वारा लिखे जा रहे उत्कृष्ट लेखों के लिए भी पुरस्कार योजनाएं होनी चाहिए।

7. कार्यसूची की मद संख्या 6 के तहत राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित किए गए विषयों के बारे में गहन रूप से चर्चा हुई। धारा 3(3) और नियम 5 का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ साथ हिन्दी टिप्पण, हिन्दी पत्राचार, हिन्दी प्रशिक्षण, वेबसाईट पूरी तरह द्विभाषी बनाने, कोड/मैनुअल पूरी तरह से द्विभाषी बनाने, सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी (यूनिकोड) में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी प्राप्त करने पर जोर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन के दौरान जल और हिन्दी के महत्व को समझाते हुए कहा कि जल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। विश्व में जल संकट बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जल से संबंधित विभिन्न समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में जल का संचय, संग्रह, दक्ष उपयोग और संरक्षण समय की जरूरत बन गई है। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय एक ऐसे विषय से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी से संबंधित है। अतः इसका प्रचार-प्रसार भारतीय भाषाओं में होना चाहिए ताकि हम व्यक्ति की स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए आम आदमी से जुड़ सकें और उचित जानकारी दे सकें। इस संबंध में हिन्दी सबसे उपयुक्त माध्यम है। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि अब से 20-25 वर्ष पहले तक अंग्रेजी मीडिया का बहुत बोलबाला था। परन्तु आज के समय में भारतीय भाषाओं की मीडिया का प्रचार-प्रसार बहुत अधिक बढ़ गया है। इस तरह हमें हिन्दी और अन्य मातृभाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा भारत के त्रिभाषा सूत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि हमें अब प्रोत्साहन फ्रेमवर्क में जाना चाहिए ताकि आम आदमी से हमारी दूरी कम हो सके।

अंत में, अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

****

अनुबंध

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2017 को आयोजित 69वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री संजय कुंडु, संयुक्त सचिव (पीपी) और रा.भा. प्रभारी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय- अध्यक्ष
2. श्री मूल चंद, सहायक सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वड़ोदरा।
3. श्री कनक कुमार चौधरी, हिन्दी अनुवादक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग।
4. श्री राम बहोर साकेत, निम्न श्रेणी लिपिक, बाण सागर नियंत्रण परिषद, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. श्री सन्त प्रकाश वर्मा, बेतवा नदी परिषद, रीवा।
6. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वरि. मूल्यांकन अधिकारी, ल.सिं. (सांख्यिकी) विंग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मं।
7. श्री मोहन कोईराला, सहायक निदेशक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम।
8. श्री शंकर कुमार साहा, अधि. अभि., ऊपरी यमुना नदी बोर्ड।
9. श्री रमेश प्रसाद शर्मा, नोडल अधिकारी, बाण सागर नियंत्रण परिषद, रीवा, मध्य प्रदेश।
10. श्री संजीव शर्मा, उप प्रबंधक, एनपीसीसी, गुरूग्राम।
11. श्री अनिल कुमार लखानी, वरिष्ठ अनुवादक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला।
12. सुश्री रजिन्दर पाल, सहायक निदेशक (रा.भा.) केन्द्रीय जल आयोग।
13. श्री नित्यानंद रे, उप-सचिव, एनएमसीजी, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
14. डॉ. मनोहर अरोड़ा, वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की।
15. श्रीमती निम्मी भट्ट, प्रमुख (रा.भा.) वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव।
16. श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तक.) व. रा. अ., राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण, साकेत, नई दिल्ली।
17. सुश्री अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (रा.भा.), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली।
18. सुश्री उषा द्विवेदी, उप-निदेशक, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर।
19. डॉ. बी.के. सिंह, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, फरीदाबाद।
20. श्री एस.के. बासु, अवर सचिव (पीपी) ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
21. सुश्री इंदिरा प्रियदर्शनि, वित्त अनुभाग, आईएफडी, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
22. श्री बिस्नी सुरेष कुमार, भूजल अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
23. श्री बिरजू लाल मीना, अवर सचिव, बी.एण्ड.बी. विंग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
24. श्री अमित कुमार सिंह, अवर सचिव, संसद अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
25. श्री बलबीर सिंह गोधवाल, समन्वय अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
26. श्री नन्द किशोर, ई-गॉव/आई डी, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
27. श्रीमती मिथलेश गर्ग, अनुभाग अधिकारी, बाढ़ प्रबंधन स्कंध, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
28. श्री लक्ष्मी चन्द्र, अनुभाग अधिकारी, पीपी अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
29. श्री नवनीत यादव, बजट अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।

30. श्री संतोष प्रसाद, अनुभाग अधिकारी, ई-।।। अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।

31. सुश्री जे. शुभांगी, अनुभाग अधिकारी (स्था.-।।), स्थापना-।।, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।

32. श्री अशोक कुमार कौशिक, अवर सचिव (प्रा.), प्रशासन अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।

33. सुश्री ममता शर्मा, अनभाग अधिकारी, पी.एस.यू. अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।

34. श्री सुरेन्द्र कुमार, एएसओ, प्रशासन अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।

35. श्री धर्मवीर सिंह रावत, कमान क्षेत्र विकास, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।

36. श्री रनबीर सिंह, सलाहकार, कमान क्षेत्र विकास अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।

37. श्रीमती श्रद्धा माथुर, सहायक निदेशक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।

38. श्रीमती वीना सत्यवादी, सहायक निदेशक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।

39. श्री परमजीत यादव, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।

40. सुश्री हिमांशी, कनिष्ठ अनुवादक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।

41. श्री हरीश कुमार, आशुलिपिक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।

42. श्री एम.सी. भारद्वाज, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय - सदस्य सचिव

****